

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.17(1)/नविवि/अभियान/2021/

जयपुर, दिनांक : 24 SEP 2021

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान शहर-2021 के दौरान अभियान के नगर नियोजन संबंधी कार्यों यथा मास्टर प्लॉन, जोनल प्लॉन, डवलपमेंट प्लॉन, सेक्टर ले-आउट प्लान्स आदि की समीक्षा व बाधाओं को दूर करने व समय-समय पर मॉनिटरिंग किये जाने हेतु निम्नलिखित सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/वरिष्ठ नगर नियोजक की सेवाएं नगर निकायों की सहायतार्थ दिनांक 01.10.2021 से 31 मार्च, 2022 तक समेकित मानदेय रूपये 40,000/- प्रतिमाह पर ली जाती हैं :-

क्र. स.	सेवानिवृत्त अधिकारी नाम व पदनाम	कार्य स्थल	पारश्रमिक, आवश्यकतानुसार वाहन व अन्य सुविधा प्रदान करने हेतु नोडल एजेन्सी
1.	श्री चन्द्र शेखर पाराशर, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक	सप्ताह में 03 दिवस जयपुर नगर निगम, ग्रेटर एवं 02 दिवस जयपुर नगर निगम, हैरिटेज	नगर निगम, ग्रेटर
2.	श्री सुग्रीब सिंह, सेवानिवृत्त वरिष्ठ नगर नियोजक	बीकानेर संभाग की समस्त निकाय	नगर विकास न्यास, बीकानेर
3.	श्री एस.के. श्रीमाली, सेवानिवृत्त वरिष्ठ नगर नियोजक	उदयपुर संभाग की समस्त निकाय	नगर विकास न्यास, उदयपुर

राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिकारियों को उपरोक्त आवंटित कार्यों के अतिरिक्त अन्य निकायों का भी कार्य दिया जा सकता है।

सभी अधिकारियों को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अभियान संबंधी पुस्तिका (Booklet) आदि उपलब्ध करवाई जावेगी। इनके द्वारा नगर नियोजन कार्यालय, जयपुर में दिनांक 28.09.2021 को दोपहर 03:00 बजे Orientation Programme में भाग लेने हेतु उपस्थित होना है।

आज्ञा से,

(मनीष गायल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. श्री चन्द्र शेखर पाराशर, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
8. श्री सुग्रीब सिंह, सेवानिवृत्त वरिष्ठ नगर नियोजक
9. श्री एस.के. श्रीमाली, सेवानिवृत्त वरिष्ठ नगर नियोजक
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. उप नगर नियोजक, नविवि।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
13. गार्ड फाईल।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम